BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Misc. Application in disposed case No. 14/2026
in
ORIGINAL APPLICATION NO. 1267 OF 2024

Kuldeep Dhama   Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Anr   Respondents

I N D E X

S.No.	Particulars	Pages
1.	Compliance report on behalf of the Director, Geological and Mining Directorate, U.P.	
2.	Annexure -1 Letter dated 16.12.2025	
3.	Annexure -2 Letter dated 22.05.2023	
4.	Annexure -3 Letter dated 29.11.2023	
5.	Annexure -4 Copy of the Office order dated 29.08.2024	

Filed by

[MUKESH VERMA]
Advocate for Director, Geological and Mining
Ch. No. 50, Old Block
Supreme Court of India,
New Delhi 110 001
(M) 9810108098
E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi
Dated: 04.06.2026

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान पीठ, नई दिल्ली।

Misc Application in disposed of cases No. 14/2026
in
औरिजनल अप्लीकेशन नम्बर–1267 वर्ष 2024

कुलदीप धामा............

...........वादी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य............

.........प्रतिवादी

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से अनुपालन आख्या (Compliance Report/Responses) :–

क्र0 सं0	वांछित प्रश्न	उत्तरालेख
1.	39. In the facts and circumstances of the case the respondent no. 1- State of U.P. through Additional Chief Secretary, Environment, Forest andClimate Change, Government of Uttar Pradesh and respondent no. 2-Director, Mines and Geology, Government of Uttar Pradesh and respondent no. 5-Member Secretary, UPPCB are directed to look into/verify implementation of the Monitoring System for Sustainable Sand Mining of the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 (at pages no. 64 to 66 thereof) and Monitoring Mechanism of the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 (pages 48 to 63 thereof) and implementation of the directions given by Hon'ble Supreme Court and also by this Tribunal particularly the directions given by this Tribunal in O.A. no. 360/2015 titled National Green Tribunal Bar Association Vs. Virender Singh (State of Gujarat) vide order dated 26.02.2021 and ensure (i) implementation of appropriate measures for monitoring of transportation of mineral from mining area to end-user, such as essential security features, check posts, CCTV camera, GPS tracking etc., and for	निदेशालय के पत्र संख्या–2019 दिनांक 16.12.2025 **(संलग्नक–1)** द्वारा Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 के पृष्ठ संख्या–64 से 66 व Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के पृष्ठ संख्या–48 से 63 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को निर्गत किये गये हैं। Monitoring System for Sustainable Sand Mining के अन्तर्गत भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा निम्न कार्य किये गये हैः– 1. सिक्योरिटी फीचर्स युक्त सिक्योरिटी पेपर पर उपखनिजों के परिवहन हेतु ई–परिवहन प्रपत्र (ई0एम0एम0–11/ई0फार्म–सी) दिनांक 15.05.2023 **(संलग्नक–2)** से लागू है। 2. उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–36 (2) में प्राविधानित है कि " खनन पट्टा धारक जिसका खनन पट्टा क्षेत्र 05 हेक्टेयर से अधिक है, परिवहन के निगरानी के लिए, स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने सहित एक चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आर० एफ० आई० डी० स्कैनर भी रखेगा जिससे सम्बन्धित खनन पट्टाकृत क्षेत्र के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम०एम०–11 पर अंकित बारकोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और

Ankit soft 2

	regular surveillance of the sand mining reaches and constitution of district level task force for this purpose, as outlined in Chapter 7 and 9 respectively, of the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 and (ii) appropriate mechanism for taking strict punitive action against the persons and vehicles involved in illegal mining in the area under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and directions issued by this Tribunal vide order dated 26.02.2021 in O.A. no. 360/2015 titled National Green Tribunal Bar Association Vs. Virender Singh (State of Gujarat) in terms of penalty and environmental compensation. 40. Respondents no. 1 and 2 are directed to implement the recommendations made by the Joint Committee in the present case as mentioned above and ensure that high-resolution satellite images of the mining activity in the lease area before and after the mining activity duringlicense period (at the time of commencement of mining and at the time of closing of the mining operation as the case may be) be taken and kept in record to verify the extant of mining which will served as an effective remedial measure to prevent any illegal mining.	उसका समुचित रूप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टा धारक उक्त सभी सी०सी०टी०वी० कैमरे और आर०एफ०आई० डी० स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिन तक रखेगा और नियम–67 के उपबन्धों के अधीन यथा उपबन्धित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उक्त रिकार्डिंग उपलब्ध करायेगा।'' 3. अवैध खनन/परिवह पर प्रभावी नियंत्रण हेतु इन्टीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम के अन्तर्गत खनन क्षेत्रों के जियो–फेंसिंग, निकासी स्थल पर कैमरे व वे–ब्रिज स्थापित करने तथा निदेशालय स्थित कमाण्ड सेन्टर से इन्टीग्रेशन कराये जाने के उपरान्त ही खनिजों की निकासी अनुमन्य की गयी है तथा Monitoring की जा रही है। 4. प्रदेश में अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 27 जनपदों में 60 स्थलों पर चेक–गेट्स स्थापित है एवं भौतिक रूप से जांच किये जाने हेतु एम0–चेक एप विकसित किया गया है। 5. अवैध खनन/परिवहन को रोकने के लिए Vehicle Tracking System (VTS) लागू किया गया है। दिनांक 31.03.2026 तक लगभग 58,552 उपखनिजों के वाहनो का पंजीकरण किया जा चुका है तथा लगभग 40,954 वाहनों पर लगे जी0पी0एस0 उपकरण का इन्टीग्रेशन किया जा चुका है। 6. अवैध खनन/परिवहन तथा ओवरलोडिंग पर निगरानी एवं नियंत्रण हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या–I/435766/2023/86-01099/136/2019 दिनांक 29.11.2023 **(संलग्नक–3)** द्वारा 08 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग तथा खनन विभाग के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल है। 7. निदेशालय स्तर पर Photo Geology and Remote Sensing (PGRS) प्रयोगशाला की स्थापना कर Satellite Image के माध्यम से अवैध खनन का चिन्हांकन व नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही का अनुश्रवण किया जाता है। 8. Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के प्रस्तर 9.3 के आलोक में जनपद से सटे अन्य प्रदेशों के जनपदों के जिलाधिकारीगण से समन्वय करते हुए सूचनाओं का आदान–प्रदान, नियमित Coordination बैठक करने, Joint Enforcement व समन्वित प्रयासों से अवैध परिवहन की रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश

Ankit soft 2

		प्रदेश के अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती जनपदों के जिलाधिकारियों को दिये गये है। 9. ई0एम0एम0–11 पोर्टल पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, खनन योजना की वैधता अवधि व प्रदूषण विभाग द्वारा निर्गत CTO/CTE की वैधता अवधि में ही ई0एम0एम0–11 जनित होने की व्यवस्था की गयी है। 10. निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1130 दिनांक 29.08.2024 **(संलग्नक–4)** द्वारा जनपद में सचालित खनन क्षेत्रों के भौतिक सत्यापन के साथ साथ अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य का अनुश्रवण आदि कार्यो हेतु क्षेत्रीय कार्यालयवार टीम का गठन कर जांच करने के निर्देश दिये गये है। 11. उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021, उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 व खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम–1957 में दिये गये प्राविधानो के अन्तर्गत अवैध खननकर्ता व संलिप्त वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। 12. निदेशालय के पत्र संख्या–2019 दिनांक 16.12.2025 द्वारा Joint Committee के अनुसंशाओं के क्रम में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को निर्गत किये गये हैं।

संलग्नक-1

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 2019 /एम0–एन0जी0टी–वाद/बागपत/2024 दिनांकः 16. दिसम्बर, 2025

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1267 वर्ष 2024 कुलदीप धामा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1267 वर्ष 2024 कुलदीप धामा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में आदेश दिनांक 06.11.2025 **(छायाप्रति–संलग्न)** पारित किये गये है। उक्त पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में निम्न बिन्दुओं पर जनपद स्तर से निम्न कार्यवाही अपेक्षित हैः–

1. Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के अनुसार अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी रोकथाम हेतु Digital Technology यथा रिमोट सेंसिंग, drones/night vision drones आदि का प्रयोग करते हुए प्रभावी Surveillance, Enforcement करना।
2. प्रत्येक खनन पट्टा क्षेत्र की वर्ष में कम से कम 03 बार निरन्तर अन्तराल पर जांच/निरीक्षण किया जाना– पट्टा अवधि की 25% अवधि की समाप्ति पर, पट्टा अवधि की 50% अवधि की समाप्ति पर व पट्टा अवधि के समाप्ति के 06 माह पूर्व।
3. ओवरसाइट समिति, उ0प्र0 की दिनांक 08.01.2021 द्वारा की गई अनुसंशाओं (Recommendations) (प्रति–संलग्न) पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जानाः–
   - **a)** Physical inspection before advertisement be ensured so that mineable reserve is verified.
   - **b)** Areas where only few leases are operative and the rest are not settled/surrendered need to be carefully analyzed. There could be a chance of cartel formation and mining of sand illegally from other vacant mining plots under the garb of the operative lease.
   - **c)** Geo-fencing of sites, their physical demarcation, allotment of geo-coordinates to all the pillars and their constant physical inspection and electronic surveillance is a must to ensure that the mining activity is as per the approved mining plan and no illegal mining, detrimental to environment, is going on.
   - **d)** There has to be a mechanism to ensure that the actual mining activity conforms to the approved Mining Plan and the approved Environment Management Plan (EMP).

e) There has to be an effective mechanism for restoration of environment in case of its degradation due to mining.

f) All the mining activity should strictly comply with Provisions of EIA Notification 2006, Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016; The Environmental Protection Act, 1986; The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Regulations of Central Ground Water Authority.

4. खनिजों का चोरी से अवैध खनन कर राज्य सरकार को राजस्व क्षति पहुंचाने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना।

5. Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 के पृष्ठ संख्या–64 से 66 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना। (प्रति–संलग्न)

6. Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के पृष्ठ संख्या–48 से 63 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना। (प्रति–संलग्न)

7. खनन क्षेत्र में खनन कार्य पूर्व/पट्टा प्रारम्भ व खनन कार्य/पट्टा समाप्ति के तत्काल पश्चात् high-resolution satellite images/drone image अनुरक्षित रखना व उस आधार पर खनन की गई मात्रा का आंकलन व मिलान आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 की प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त बिन्दुओं व पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 का अक्षरशः अनुपालन कड़ाई से करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि। ई-मेल के माध्यम से।

भवदीया,

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

संख्याः 2019 /एम0–एन0जी0टी–वाद/बागपत/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2. अपर निदेशक (प्रशासन), भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त के अनुपालन का नियमित अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. समस्त ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

6/12/25

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

संलग्नक-2

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
"खनिज भवन", लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः ——— /ई–एम0एम0–11/2021 (विविध) पत्राचार दिनांक 22·5-2023

विषयः–विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in द्वारा निर्गत ई–परिवहन प्रपत्रों को Security Paper पर मुद्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या–18/ई–एम0एम0–11/2021 (विविध) पत्राचार, दिनांक–06.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in से जनित ई0–परिवहन प्रपत्रों को Security Features युक्त Security Paper पर मुद्रित किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक–15.05.2023 से प्रदेश के समस्त जनपदों में ई0–परिवहन प्रपत्र (ISTP को छोड़कर) को साधारण पेपर के स्थान पर Security Paper पर मुद्रित किये जाने की अनिवार्यता को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त तिथि के उपरान्त साधारण पेपर पर मुद्रित ई0–परिवहन प्रपत्र वैध नही माने जायेंगे।

अतः अपेक्षा है कि जनपदो मे ई–परिवहन प्रपत्र (ई0–एम0एम0–11/ई0–फॉर्म–सी) का मुद्रण Security Paper पर होने कि व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रोशन जैकब)
निदेशक।

संख्याः 215 /ई–एम0एम0–11/2021 (विविध) पत्राचार तद् दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, तृतीय तल, योजना भवन, लखनऊ।
4. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग।
5. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक।

(डॉ0 रोशन जैकब)
निदेशक।

संलग्नक-3

I/435766/2023 File No.86-01099/136/2019- - 559

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

प्रेषक,

अनिल कुमार-III,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 29/11/2023

विषयः- अवैध खनन एवं परिवहन रोकने हेतु कार्यबल का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या-616/86-2018-371/2005, दिनांक 20.03.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश में अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय जनपद स्तरीय कार्यबल (Task force) का गठन किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उक्त जनपद स्तरीय कार्यबल (Task force) में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त (DCP), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी खनन, सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) तथा जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खनन निरीक्षक को भी सम्मिलित करते हुये प्रश्नगत कार्यबल की संरचना निम्नवत् निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त (DCP)	सदस्य
3.	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/ प्रभारी खनन	सदस्य
4.	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
5.	उपजिलाधिकारी	सदस्य

6.	पुलिस क्षेत्राधिकारी/ सहायक पुलिस आयुक्त (ACP)	सदस्य
7.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
8.	जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी /खान अधिकारी /खनन निरीक्षक (खान अधिकारी नियुक्त न होने की दशा में)	सदस्य/ सचिव

3. साथ ही मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अब उपरोक्तांनुसार गठित 08 सदस्यीय कार्यबल द्वारा प्रदेश में अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु प्रत्येक माह 02 औचक निरीक्षण के साथ-साथ नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य किया जाय। कार्यबल द्वारा प्रत्येक सप्ताह अवैध खनन/परिवहन की सघन चेकिंग की जाय तथा उक्त सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित रूप से ई-मेल cmo.lko62@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाए।

जनपद स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में आपके द्वारा स्वयं प्रवर्तन कार्यों की प्रभावी समीक्षा तथा प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यों में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों व कार्य से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Digitally Signed by अनिल कुमार-III
(अनिल कुमार-III)
Date: 28-11-2023 18:21:29
Reason: Approved
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया जनपदों से कार्यबल द्वारा प्रेषित मासिक रिपोर्ट को संकलित कर उसके आधार पर एक समेकित रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रतिमाह शासन को उपलब्ध करायी जाय।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खनन निरीक्षक,उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश)

7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विजय कुमार

विशेष सचिव।

संलग्नक-4

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

संख्याः 1130 /एम–87 ए/498 प्रस्तुतीकरण (vii) दिनॉकः 29 अगस्त, 2024

कार्यालय आदेश

प्रदेश में संचालित खनन पटटों की वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण/मापन हेतु कार्यालय आदेश संख्या–85/एम–87 ए/498 प्रस्तुतीकरण (vii) दिनांक 09.04.2024 द्वारा टीम का गठन किया गया था और एक सप्ताह में आख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी थी। तत्क्रम में सम्यक विचारोंपरान्त प्रदेश में (1) राजस्व वृद्धि (2) जनपद में उपलब्ध उपखनिजों के नये क्षेत्रों के चिन्हांकन (3) जनपद में संचालित खनन क्षेत्रों के भौतिक सत्यापन एवं अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किये जा रहे कार्य का अनुश्रवण तथा (4) ईमारती पत्थर के खनन पट्टों तथा नदी तल में संचालित बालू/मौरम के खनन पट्टों का वर्तमान आर0एल0 प्राप्त कर विभागीय पोर्टल https://upmines.upsdc.gov.in पर जारी ई0एम0एम0–11/ई फार्म–सी के अनुसार वास्तविक खनन की मात्रा का आंकलन किये जाने हेतु निम्नवत् टीमों का गठन किया जाता हैः–

क्र0सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित जॉच दल के सदस्य		
		क्षेत्रीय कार्यालय आगरा		
01.	**आगरा**	प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय आगरा।	श्री प्रशान्त प्रभात, सहायक भूवैज्ञानिक	–
02.	मथुरा			
03.	फिरोजाबाद			
04.	मैनपुरी			
05.	अलीगढ़			
06.	एटा			
07.	कासगंज			
08.	हाथरस			
		क्षेत्रीय कार्यालय झाँसी		
09.	**झांसी**	प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय झाँसी।	श्री सोमेन्द्र कुमार तिवारी, सहायक भूवैज्ञानिक	श्री संतोष कुमार पाल, सर्वेक्षक
10.	जालौन			
11.	ललितपुर			
		क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज		
12.	**प्रयागराज**	प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज।	श्री अरविन्द्र, सहायक भूवैज्ञानिक	श्री वेद प्रकाश शुक्ला, सर्वेक्षक
13.	फतेहपुर			
14.	कौशाम्बी			
15.	प्रतापगढ़			
16.	चित्रकूट			
17.	बांदा			
18.	महोबा			
19.	हमीरपुर			
		क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या		
20.	**अयोध्या**	प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या।	श्री गोविन्द कृष्ण मौर्य, सहायक भूवैज्ञानिक	श्री अशोक कुमार मौर्या, वरिष्ठ सर्वेक्षक
21.	सुल्तानपुर			
22.	अम्बेडकर नगर			
23.	बाराबंकी			
24.	अमेठी			
25.	बलरामपुर			

26.	गोण्डा			
27.	बहराईच			
28.	श्रावस्ती			
29.	सिद्धार्थनगर			
30.	संतकबीरनगर			
31.	बस्ती			
क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर				
32.	**गोरखपुर**	प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर।	श्री आशीष पालीवाल, सहायक भूवैज्ञानिक	—
33.	कुशीनगर			
34.	महाराजगंज			
35.	देवरिया			
36.	आजमगढ़			
37.	बलिया			
38.	मऊ			
क्षेत्रीय कार्यालय बरेली				
39.	**बरेली**	प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय बरेली।	डा0 दीपक, सहायक भूवैज्ञानिक	श्री दिनेश कुमार, वरिष्ठ सर्वेक्षक
40.	बदायूँ			
41.	शाहजहाँपुर			
42.	पीलीभीत			
43.	मुरादाबाद			
44.	रामपुर			
45.	बिजनौर			
46.	अमरोहा			
47.	सम्भल			
क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद				
48.	**गाजियाबाद**	प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद।	श्री सतीश भारती, सहायक भूवैज्ञानिक	श्री शिव कुमार वरिष्ठ सर्वेक्षक
49.	मेरठ			
50.	गौतमबुद्धनगर			
51.	बागपत			
52.	बुलन्दशहर			
53.	हापुड़			
54.	सहारनपुर			
55.	मुजफ्फरनगर			
56.	शामली			
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ				
57.	**लखनऊ**	प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।	श्री असद, प्रा0 सहायक भूवैज्ञानिक	श्री मनोज कुमार, सर्वेक्षक
58.	हरदोई			
59.	उन्नाव			
60.	सीतापुर			
61.	लखीमपुर खीरी			
62.	रायबरेली			
63.	कानपुर नगर			
64.	कानपुर देहात			
65.	इटावा			
66.	फर्रुखाबाद			
67.	कन्नौज			
68.	औरैया			

क्षेत्रीय कार्यालय सोनभद्र				
69.	**सोनभद्र**	प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय सोनभद्र।	श्री अनुराग वर्मा, सहायक भूवैज्ञानिक	श्री योगेश शुक्ला, सर्वेक्षक
70.	मीरजापुर			
71.	संतरविदास नगर			
72.	वाराणसी			
73.	गाजीपुर			
74.	जौनपुर			
75.	चन्दौली			

अतः उक्त जॉच दल को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यों को ससमय सम्पादित कराते हुए आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

29/01/24

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

संख्याः 1130 /एम–87 ए/498 प्रस्तुतीकरण (VII) तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ।
5. समस्त अधिकारीगण/कर्मचारियों को अनुपालनार्थ।
6. निदेशक कैम्प।

29/01/24

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।